लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स मॉ कमख्या कन्सट्रक्सन एण्ड कम्पनी, प्रो0ः श्री अविनाश कुमार, पिता–रामाशीष सिंह, ग्राम+पो0–कमता, थाना–परासी, जिला–अरवल द्वारा अरवल सोन नदी बालु घाट–13 मौजा–मैनपुरा सोहसा, तहसील–कलेर, जिला–अरवल अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 07.06.2023 को अपराह्न 12:00 बजे प्रखण्ड प्रखण्ड सभागर कलेर, जिला–अरवल के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2249/2023, dated 27.01.2023 के आलोक में श्री ज्योति कुमार, अपर समाहर्ता, अरवल (जिला पदाधिकारी, अरवल के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 07.06.2023 को अपराह्न 12:00 बजे प्रखण्ड सभागर कलेर, जिला–अरवल में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा अरवल सोन नदी बालु घाट–13 मौजा–मैनपुरा सोहसा, तहसील–कलेर, जिला–अरवल के लेसी को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री प्रवीण कुमार सिन्हा ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनी यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री राजेश राहुल, पिताः शत्रुधन शर्मा, ग्राम+पो0–सोहसा, जिला–अरवल।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोकथाम करने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में दो बार जल का छिड़काव किया जायेगा। साथ ही बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा। इसप्रकार श्री राजेश राहुल को अपना जवाब प्रस्तृत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री भोला शर्मा, पिताः जयनन्दन शर्मा, ग्राम–सोहसा कलेर, जिला–अरवल।	इनके द्वारा रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार एवं लेसी द्वारा आश्वासन देते हुए बताया गया कि बालू उठाव के दौरान स्थानीय नागरीको को ही उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री भोला शर्मा को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

3.	श्री रामचन्द्र पासवान, पिताः सुकेधर पासवान, ग्राम–मैनपुरा सोहसा, जिला–अरवल।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोकथाम करने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में दो बार जल का छिडकाव किया जायेगा। साथ ही बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा। इसप्रकार श्री रामचन्द्र पासवान को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री मुन्ना पासवान, पिताः स्व0 जगदीश पासवान, ग्राम–सोहसा, जिला–अरवल।	इनके द्वारा रोड की मरम्मती से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार एवं लेसी द्वारा बताया गया कि नदी से लेकर मेन रोड तक कच्चा रोड बनाया जायेगा तथा उसका समय–समय पर मरम्मता किया जायेगा। इसप्रकार श्री मुन्ना पासवान को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
5.	श्री अमित कुमार, पिताः स्व0 अजीत कुमार शर्मा, ग्राम–सोहसा, जिला–अरवल।	इनके द्वारा CSR के तहत् रोजगार एवं मेन रोड का खराब हो जाने से काफी समस्या है, संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में खनन पदाधिकारी द्वारा बतलाया गया कि मुख्य सड़क खराब की समस्या लेसी की नहीं है, यह समस्या सरकार की है। साथ ही रोजगार के बारे में पर्यावरणीय सलाहाकार एवं लेसी द्वारा आश्वासन देते हुए बताया गया कि बालू उठाव के दौरान स्थानीय नागरीको को ही रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री अमित कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
6.	श्री कर्पूरी ठाकुर, पिताः उमेश ठाकुर, ग्राम–सोहसा, जिला–अरवल।	इनके द्वारा स्थानीय मजूदरों को रोजगार एवं समाजिक कार्य में सहयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार एवं लेसी द्वारा आश्वासन देते हुए बताया गया कि बालू उठाव के दौरान स्थानीय नागरीको को ही रोजगार दिया जायेगा। साथ ही जो भी समाजिक कार्य होंगे उस कार्य मेरे द्वारा उनका पुरा सहयोग किया जायेगा। इसप्रकार श्री कर्पूरी ठाकुर को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

7.	श्री बबलु चौधरी, पिताः मंगल चौधरी, ग्राम–सोहसा, जिला–अरवल।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान सड़क पर उत्सर्जित होने वाले धूल--कण की रोकथाम करने एवं पेड़ लगाने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार एवं लेसी द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा। साथ ही बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा। एवं वृक्षारोपण भी किया जायेगा। इसप्रकार श्री बबलु चौधरी को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

8.6.23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
वि.रा.प्र.नि.पर्षद, गया

अपर समाहर्ता
अरवल
8/6/2023

उपस्थिति सूची

मेसर्स माँ कमख्या कन्सट्रक्सन एण्ड कम्पनी, प्रो0ः श्री अविनाश कुमार, पिता–रामाशीष सिंह, ग्राम+पो0–कमता, थाना–परासी, जिला–अरवल द्वारा अरवल सोन नदी बालु घाट–13 मौजा–मैनपुरा सोहसा, तहसील–कलेर, जिला–अरवल का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 07.06.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में प्रखण्ड सभागर कलेर, जिला–अरवल में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	J. Kumar	ADM	[illegible]
2.	Manu Ranjan Kr. Singh	R.O, B.S.P.C.B, Gaya	[illegible]
3.	Narendu Singh	MDO, Arwal	[illegible] 07/06/23
4.	Ritika	MI, Mining office, Arwal	[illegible] 07/06/23
5.	Deepak Kumar	Mining office Arwal	[illegible] 07/06/23
6.	Pravin Kumar Sinha	201, Mangal Market Raja Bazar Patna	[illegible]
7.	Shailesh Kumar	M/s Maa Kamakhya Constr. & Co.	[illegible]
8.	पिन्टु चौधरी	सोहसा	पिन्टु चौधरी
9.	Rashyam Kumar	~~असलानपुर~~ सोहसा	Rashyam Ku

10.	जितेन्द्र चंद्रवंशी	सोहसा 7041930935	
11.	मनु पासवान	सोहसा 9934797305	मनु पा॰
12.	पवन कुमार	सोनपुरा	पवन कुमार
13.	धर्मवीर कुमार	सोहसा	धर्मवीर कुमार
14.	मिथुन कुमार	सोहसा कुरसेल [illegible]	मिथुन कुमार
15.	विनोद पासवान	सोहसा	
16.	सिकन्दर कुमार	सोहसा	सिकन्दर कुमार
17.	संतोष राम	सोहसा	
18.	रंजीत पासवान	सोहसा	
19.	शैलेन्द्र कुमार	सोहसा	शैलेन्द्र कुमार
20.	[illegible] पासवान	सोहसा	

21.	सुरेश राजवंशी	सोहसा	सुरेश राजवंशी
22.	[illegible] लाल	सोहसा	
23.	BIKYSH KVMAR	सोहसा	BIKYSH
24.	जोरा कुमार	सोहसा	
25.	[illegible] रावानी	सोहसा	
26.	दशरथ चौधरी	सोहसा।	दसरथ चौधरी
27.	सत्येन्द्र चौधरी	सोहसा	
28.	कपूरी ठाकुर	सोहसा	कपूरी ठाकुर
29.	मुन्ना पासवान	सोहसा	मुन्ना
30.	रामचन्द्र पासवान	ग्राम मैनपुरा	रामचन्द्र पासवान
31.	राजेश राहुल	ग्राम- सोहसा	राजेश राहुल 9931920464

32.	भोला सिंह	सोहसा	भोला सिंह 8002198446
33.	रामदेव यादव	सोहसा	
34.	बिरजू कुमार	सोहसा	Birju
35.	उपेन्द्र चौधरी	सोहसा	उपेन्द्र चौ.
36.	विनय कुमार चौध	सोहसा	vinay kumar
37.	प्रमोद कुमार	सो दसा	प्रमोद कुमार
38.	धर्मेन्द्र कुमार	सोहसा	धर्मेन्द्र कुमा
39.	राहुल पासवान	सोहसा	राहुल पासवा
40.	संजीत साव	सोहसा	संजीत साव
41.	प्रमोद चौधरी	सोहसा	Pramod
42.			